ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 157-158
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

उत्तर प्रदेश स्थानीय सरकारें ग्राम पंचायतों का महत्व

रामकरन

पेटी ऑफिसर– भारतीय नौ सेना नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेट्री, विज्ञान नगर, N.A.D. रोड, विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश), भारत

Received-02.09.2023, Revised-09.09.2023, Accepted-14.09.2023 E-mail: kyayay89@gmail.com

सारांश: *उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें एक विविध जनसंख्या और एक जटिल प्रशासन प्रणाली है। इस प्रशासन प्रणाली के आधार स्तर पर ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस केस स्टडी में हम उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कार्यों जिम्मेदारियों और उनके ग्रामीण विकास पर प्रभाव के जटिल विवरण में गहराई से जाएँगे। ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई है। इसका कार्यक्षेत्र एक ही गांव या कई गांवों का होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, प्रत्येक की अधिकार होता है स्थानीय प्रशासन, विकास और कल्याण के संबंधित निर्णय लेने का क्षेत्र पंचायतें मध्यस्तरीय स्तर के प्रशासनिक निकाय हैं, जो कई ग्राम पंचायतों को एक साथ एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में संचालित करने के लिए बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 821 क्षेत्र पंचायतें हैं। स्थानीय प्रशासन के शीर्ष स्तर पर जिला पंचायतें जिले के समग्र विकास और प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायतें हैं, प्रत्येक में कई क्षेत्र पंचायतें होती हैं।*

कुंजीभूत शब्द– विविध जनसंख्या, जटिल प्रशासन प्रणाली, ग्रामीण विकास, जटिल विवरण, स्थानीय स्वशासन, विकास, कल्याण।

ग्राम पंचायतों की भूमिका– उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की विशालकार भूमिकाएँ हैं, जिसमें शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं– ग्राम पंचायतों का प्राथमिक दायित्व ग्रामीण विकास है। वे स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विकास परियोजनाओं की योजना बनाते हैं और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि बुनाई विकासए सड़क निर्माण व पानी की आपूर्ति। ग्राम पंचायतें विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना शामिल हैए ग्रामीण जनसंख्या के लिए। पर्यावरण की बढ़ती हुई चिंताओं के दौर में ग्राम पंचायतें संरक्षण के प्रयासों में भी भूमिका निभाती हैं। वे कचरें का प्रबंधन, जल स्रोतों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को बचाने के लिए कदम उठाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए सतत संवाद में मदद करते हैं।

ग्राम पंचायतें नागरिकों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हाउसिंग योजनाओं का पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। वे स्थानीय वित्तों का प्रबंधन करने राजसरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन का संचयन करने और उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होती हैं।

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जो लोकतंत्र के माध्यम से चुने जाते हैं। उन्हें ग्राम पंचायत का नेतृत्व करने और विकास और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंच में चुने गए प्रतिनिधियाँ होती हैं, जो स्थानीय मुद्दों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेने, संसाधनों का आवंटन करने और विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सहयोग करते हैं। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत की दैनिक कार्यवाहिकों का प्रबंधन करते हैं और ग्राम पंचायत के प्रशासनिक काम को संचालित करते हैं। उन्हें रिकॉर्ड रखने, वित्तीय प्रबंधन और सरकार के अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है।

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें ने ग्रामीण बुनाई शिक्षा तक पहुँच और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में सुधार करने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि उन्हें कई चुनौतियाँ भी प्राप्त हो रही हैं जैसे– ग्राम पंचायतों की क्षमता को बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधनों की सीमितता अक्सर उनकी सक्षमता को दबा देती हैं, उदारणा कार्यों के कार्यान्वयन की क्षमता को प्रभावित करती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों और अधिकारियों की सक्षमता और प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। प्रशासनिक रुकावटें निर्णय लेने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को धीमा कर सकती हैं, नागरिकों को सेवाओं के समय प्राप्ति पर प्रभाव डालती हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप कुछ मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता को बाधित कर सकता है। उनकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डालता है।

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वशासन की मूल चौकीदार हैं, जो ग्रामीण विकास सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका प्रभाव ग्रामीण अंतरिक्ष के विकास में अस्पष्ट नहीं है, क्योंकि वे सरकार और ग्रामीण नागरिकों के बीच ज्ञान स्वरूप और स्वशासन के क्षेत्र में अंतर स्थापित करते हैं। चुनौतियों के बावजूद इन संस्थानों का उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समृद्धि विकास में पूर्णत महत्व है, वे राज्य में लोकतंत्र और स्वशासन की पूर्णवयम विकल्प के रूप में कार्य करते हैं।

(क) ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिये अनर्हता– कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुने जाने के लिये और होने के अनर्ह होगा, यदि...

(1) वह किसी विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो: प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा, कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होय।

2. वह ग्राम पंचायत या किसी न्याय पंचायत का वैतनिक सेवक हो।

3. वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी ख्या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्राणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम 1, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

4. वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो।
5 उस पर ऐसी अवधि के लिये जैसी नियत की जाये, ग्राम पंचायत, क्षेत्रा पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी विफल रहा हो।
6. वह अनुन्मोचित दिवालिया हो।
7. नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
8. उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये, किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।
9. से एसेंशियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 या यू०पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाई (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1947 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो।
10. उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।
11. उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
12. उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
13. उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

सदस्यता की समाप्ति–

1. ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, उसका सदस्य नहीं रह जायेगा यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, से निकाल दी जाये।

2. यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन ख्याम पंचायत, 5 का सदस्य न रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह ग्राम पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नामांकित अथवा नियुक्त किया गया हो, बना न रहेगा।

3. टाउन एरिया सम्मिलित कर दिया जाये, तो ग्राम पंचायत का अस्तित्व (Existance) समाप्त हो जायेगा और उसकी आस्तियाँ (Assest) तथा उसकी जिम्मेदारियाँ विहित रीति से निर्धारित कर दी जायेगी। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग इस प्रकार सम्मिलित कर दिया गया तो ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्रा उतने भाग से हट जायेगा ।

4. प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नाम प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली – (1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक निर्वाचक नामावली, इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्राण के अधीन तैयार की जायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्राण के अधीन रहते हुये, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण, और उनसे सम्बन्धित समस्त .त्यों का सम्पादन करेगा। निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेंगी, जैसी नियत की जाये।, (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली नियत रीति से प्रकाशित की जायेगी और प्रकाशित किये जाने पर वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, तैयार की गई उस प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रा की निर्वाचन नामावली होगी ।

*****